मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

&%% uhykeh lwpuk %%&

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण परिसर में खडे पुराने 05 वृक्षों की नीलामी दिनांक 25.05.2015 को प्रातः 11.30 बजे को प्राधिकरण मीटिंग हाल पर ही होनी निश्चित हुयी है। बोलीदाता को नीलामी में पूर्व अंकन रूपये 10000/— धरोहर राशि के रूप में अद्योहस्ताक्षरी को जमा करने होगें। जो व्यक्ति या फर्म नीलामी लेने के इच्छुक हो वह स्थल पर जाकर वृक्षों को देखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर आकर नीलामी में भाग ले सकते है। नियम व शर्तें प्राधिकरण की बैवसाईड mdameerut.org.in पर व उद्यान अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस पर देखा जा सकता है।

नियम व शर्तें—

1. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी में बोली गई धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि उसी समय तथा अवशेष धनराशि स्वीकृति उपरान्त तत्काल प्राधिकरण कोष में जामा करानी होगी तदोपरान्त ही वृक्षों का कटान प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर खड़े वृक्षों को देखने/आकलन की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता के पेड़ों का कटान 15 दिन के अन्दर करके स्थल से वृक्षों की जड़ इत्यादि निकाल कर साफ करना होगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को वृक्षों का कटान एवं ढुलाई खर्च स्वयं वहन करना होगा।
5. किसी भी प्रकार की यदि कर देयता होगी तो बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
6. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. नीलामी द्वारा निस्तारित वृक्षों के पातन हेतु क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ के कार्यालय से नियमानुसार पातन अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

प्रभारी अधिकारी,उद्यान
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।